

राजस्थान सरकार



निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जय सिंह हाईवे, जयपुर-302016

क्रमांक:- प.4(2)/सीआरएस/एसआईपीएफ/लोक सेवा. गारन्टी एमपीआर/2024 2235 दिनांक:- 11/11/2024

अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
मुख्यालय, जयपुर।

विषय:-राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के मासिक प्रतिवेदन माह
अक्टूबर 2024 के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी जिलों के राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के
मासिक प्रतिवेदन विवरण की सूचना निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	अपीलार्थी का नाम व पता	प्रथम अपील फाईल करने की तारीख	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (कार्यालय के नाम के साथ) जिसके आदेश के विरुद्ध अपील फाइल की गई है।	प्रथम अपील के निपटान के लिये नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील आदेश की तारीख और ब्यौरे
1	2	3	4	5	6
			शून्य		

भवदीय

अतिरिक्त निदेशक (शिकायत निवारण)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
मुख्यालय, जयपुर

RajKaj Ref
11699073



Signature valid

Digitally signed by Vishwas Pareek
Designation: Additional Director
Date: 2024.11.11 12:01:20 IST
Reason: Approved